

## ऋण खाता Loan Account

### परिचय

#### **INTRODUCTION**

सरकार समय-समय पर सामाजिक-आर्थिक विकास के कई कार्यक्रमों को समाविष्ट करती है , जिनका उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि , अतीत में निर्मित विभिन्न परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग करना है , साथ ही जनसंख्या की न्यूनतम सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना और विशेष रूप से समाज के कमजोर लोगों के वर्गों का । उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारी धनराशि की आवश्यकता होती है और राज्य सरकार को इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए धनराशि उधार लेनी और उधार देनी होती है। इसलिए , सरकार की देनदारियां और संपत्ति को “ई-लोक ऋण” और “एफ - ऋण और अग्रिम ” के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं ; “ई-लोक ऋण” उन स्रोतों को इंगित करता है जिनसे राशि उधार ली गई है और “एफ - ऋण और अग्रिम” उन स्रोतों को इंगित करता है जहाँ राशियाँ उधार दिए गए हैं।

The Government introduces from time to time several programmes of Socio-economic development which aim at increase in production, better utilization of various assets created in the past as also meeting the minimum social and economic requirements of the population, and in particular, of the weaker sections of the Society.

For achieving the above objectives huge funds are necessary and the State Government has to borrow and lend funds to meet the purpose. The liabilities and assets of the Government are, therefore, exhibited in the Sector ‘E-Public Debt’ and ‘F-Loans and Advances’; the former indicating the sources from which the amounts are borrowed and the latter functions on which amounts have been lent.

क) केन्द्रीय ऋण और आंतरिक ऋण - “ई-लोक ऋण” के तहत प्राप्त ऋणों को निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत प्रदर्शित किया जाता है: -

**CENTRAL LOANS AND INTERNAL DEBT – Under ‘E-Public Debt’ loans received are exhibited under following Major Heads of Accounts:-**

- (1) मुख्य शीर्ष 6003 -राज्य सरकार का आंतरिक ऋण  
**Major Head 6003 –Internal debt of the State Government.**
  - (i) ब्याज सहित बाजार लोन Market loans bearing interest
  - (ii) ब्याज रहित बाजार लोन Market loans not bearing interest.
  - (iii) भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण Loans from the Life Insurance Corporation of India.
  - (iv) भारतीय रिज़र्व बैंक के राष्ट्रीय कृषि ऋण कोष से ऋण Loans from the National Agricultural Credit Fund of the Reserve Bank of India.
  - (v) भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण Loans from the State bank of India and Other Banks.

- (vi) अन्य संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण , कर्मचारी राज्य बीमा निगम , भारतीय डेयरी विकास निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम आदि से ऋण Loans from 'Other Institutions such as National Co-operative Development Corporation; Employees State Insurance Corporation, the Indian Dairy development Corporation; The General Insurance Corporation of India etc.
- (vii) भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम Ways and Means Advances from the reserve Bank of India.
- (viii) मुआवजा और अन्य बांड Compensation and Other Bonds.
- (ix) कपड़ा मिलों के पूर्व-श्रमिकों से ऋण Loans from the Ex-workers of the Textile Mills.

**(2) मुख्य शीर्ष -6004 केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम : Major Head 6004-Loans and Advances from the Central Government.**

- (i) केंद्र सरकार से ऋण Loans from the Central Government
- (ii) आयोजन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से अर्थोपाय अग्रिम Ways and Means Advances from Central Government for Plan Schemes.

**ख) संस्थान ऋण:** सरकार के द्वारा ऋण और अग्रिम के रूप में पैसा उधार दी जाती है जिसे "एफ - ऋण और अग्रिम " के तहत प्रदर्शित किया जाता है। ये निम्नलिखित प्रकार के हैं:

**INSTITUTIONAL LOANS: Government is lending money in the form of 'Loans and advances and they are of following nature and fall under 'F- Loans and Advances'.**

1. अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के लिए ऋण मुख्य शीर्ष (MH 6202, 6210, 6215, 6216, 6217, 6220, 6225, 6235, 6250) - इनमें शिक्षा; कला और संस्कृति; मेडिकल; सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता; जलापूर्ति; आवास; शहरी विकास; सूचना और प्रचार; सामाजिक सुरक्षा और कल्याण; अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं के लिए ऋण शामिल हैं।  
**Loans for other Social and Community Services:** (MH 6202, 6210, 6215, 6216, 6217, 6220, 6225, 6235, 6250) - These include loans for Education, Arts & Culture; Medical; Public Health and Sanitation; Water Supply; Housing, Urban Developments; Information and Publicity; Social Security and Welfare; Other Social and Community Services.
2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण मुख्य शीर्ष (6425, 6435, 6075, 7465, 7475) - इनमें सहकारी समितियों के लिए ऋण, सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों को ऋण और अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण शामिल हैं।  
**Loans for Other General Economic Services:** (MH 6425, 6435, 6075, 7465, 7475) - These include Loans for Co-operatives, Loans to General Financial and Trading Institutions and Loans for Other General Economic Services.
3. कृषि के लिए ऋण मुख्य शीर्ष (6401 to 6406, 6408, 6435, 6515, 6575, 6701 to 6705) इनमें कृषि, लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण और क्षेत्र विकास, खाद्य, पशुपालन, डेयरी विकास, मछली पालन, वन, सामुदायिक विकास आदि के लिए ऋण शामिल हैं।

**Loans for Agriculture:** (MH 6401 to 6406, 6408, 6435, 6515, 6575, 6701 to 6705) - These include loans for Agriculture, Minor Irrigation, Soil Conservation and Area Developments, Food, Animal Husbandry, Dairy Development; Fisheries; Forests; Community Development etc.

4. उद्योग और खनिजों के लिए ऋण: (मुख्य शीर्ष- 6851, 6855, 6858 to 6860, 6885) - इनमें औद्योगिक अनुसंधान और विकास; ग्राम और लघु उद्योग; उपभोक्ता उद्योग, औद्योगिक वित्त संस्थान के लिए ऋण शामिल हैं।

**Loans for Industry and Minerals:** (MH 6851, 6855, 6858 to 6860, 6885) - These include loans for Industrial Research and Development; Village and Small Industries; Consumer Industries, Industrial Finance Institutions.

5. जल और विद्युत विकास के लिए ऋण: (मुख्य शीर्ष - 6801) - इसमें विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं।

**Loans for Water and Power Development:** (MH 6801) - This includes Power Projects.

6. परिवहन और संचार के लिए ऋण: (मुख्य शीर्ष- 7051, 7052, 7055, 7056, 7075, 7615) - इनमें सड़क और जल परिवहन सेवाओं, अन्य परिवहन संचार सेवाओं और विविध सेवाओं के लिए ऋण शामिल हैं।

**Loans for Transport and Communications:** (MH 7051, 7052, 7055, 7056, 7075, 7615) - These include loans for Road and Water transport Services, Other Transport Communication Services and for Miscellaneous Services.

7. पर्यटन के लिए ऋण: (मुख्य शीर्ष- 7452, 7465) इनमें पर्यटन सेवाओं के लिए ऋण शामिल हैं।

**Loans for Tourism** (MH 7452, 7465)- These include loans for Tourism Services.

8. मुख्य शीर्ष 7610 के तहत अग्रिमों का विस्तृत लेखा-जोखा राज्य सरकार द्वारा रखा जा रहा है।

The detailed Account of Advances under Major Head 7610 is being maintained by State Government.

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| दिशानिर्देश (Guidelines) :                | NA |
| समस्या (Problem) :                        | NA |
| प्रक्रिया (Procedure) :                   | NA |
| क्या करें और क्या नहीं:<br>(Do's & Don't) | NA |
| शिकायत (Grievances) :                     | NA |
| सामान्य प्रश्न (FAQ) :                    | NA |